न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—393/2016/223 (2016/00393)

1. शोभाग पुत्र छोटू,
2. पप्पू पुत्र छोटू,
   समस्त जाति माली, निवासी नयागांव, तह0 सावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. माधू पुत्र उदा,
2. रामधन पुत्र भैरू,
3. हीरालाल पुत्र रामधन,
4. लाला पुत्र भैरू,
5. शांति बेवा रामेश्वर,
6. आशा पुत्री रामेश्वर, नाबालिग जरिये सरंक्षक माता शांति बेवा रामेश्वर,
7. सोना पुत्री रामेश्वर, नाबालिग जरिये सरंक्षक माता शांति बेवा रामेश्वर,
8. विशना पुत्र रामेश्वर, नाबालिग जरिये सरंक्षक माता शांति बेवा रामेश्वर,
9. जगन्नाथ पुत्र उदा,
10. सजना पुत्री उदा,
11. लाडा पत्नि छोटू,
12. सोदान उर्फ रामराज पुत्र छोटू,
13. तुलसी पुत्री छोटू,
    समस्त जाति माली, निवासी नया गांव, तह0 सावर, जिला अजमेर ।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, दिनांक 16.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 3962/2015.

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 1, 3 से 13.
3. रेस्पो0 संख्या 2 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 14.

निर्णय

दिनांकः— 31.1.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.6.2016के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1/वादी द्वारा एक वाद विरूद्ध अपीलांट एवं शेष रेस्पो0 के अंतर्गत धारा 188

राज0काश्त0अधि0 1955 के पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नयागांव, पटवार मण्डल मेहरूकलां, तह0 केकड़ी में अवस्थित आराजी खसरा नंबर 366/1282 रकबा 0.25 है0 भूमि का रेस्पो0 संख्या 1/वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी की सहखातेदारी की आराजी है जिस पर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी काबिज है । अपीलांटस/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का उक्त आराजी से कोई संबंध नहीं है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादवर्णित आराजी में जबरन 70 गुणा 50 फुट आराजी पर पक्का निर्माण कर रहे है जिन्हें रोके जाना आवश्यक है । अतः वाद स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.6.2016 को वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर ध्यान नहीं दिया कि लोक अदालत में सिफ राजीनामे से ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है परन्तु उक्त प्रकरण में अपीलांटस द्वारा कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया न ही दोनों पक्षकारो के मध्य कोई राजीनामा हुआ इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपने में निहित क्षैत्राधिकार का गलत प्रयोग कर दावा डिक्री करने में गंभीर त्रुटि कारित की है । किसी भी प्रकरण का निस्तारण बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये नहीं किया जा सकता है, अर्थात् बिना जवाबदावे का अवसर दिये, बिना तनकी कायम किये, बिना साक्ष्य लिये किसी भी प्रकार का निस्तारण नहीं किया जा सकता है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने गैर कानूनी निर्णय व उिक्री बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये पारित किया है जो निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि यदि प्रकरण को लोक अदालत में नियत किया जा रहा है तो पक्षकार को व्यक्तिशः नोटिस जारी किया जाना अनिवार्य है परन्तु अधी0न्याया0 ने सभी पक्षकारों को एक ही सेट परफोर्मा में नोटिस जारी किया जिसमें अपीलांटस को उपरोक्त नोटिस तामील नहीं हुआ इसके बावजूद भी बिना अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिये अपीलांटस के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित किया है जो विधिविरूद्ध होकर निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 366/1282 पर विपक्षी वादी का कोई कब्जा नहीं है इसलिये बिना कब्जे के वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी नही की जा सकती थी । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि मौखिक साक्ष्य के आधार पर दावा डिक्री नहीं किया जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2013 (2) पेज 1096 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार है जिसकी आराजी पर अन्य व्यक्ति द्वारा दखलदांजी किये जाने पर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है । विवादित आराजी पर अपीलांटस का कब्जा काश्त न होकर वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । हमारे द्वारा बेदखली का वाद पेश नहीं किया गया है बल्कि खातेदारी आराजी में अपीलांटस द्वारा दखलदांजी किये जाने पर स्थाई निषेधाज्ञा

का वाद पेश किया गया है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नितिन जैन ने उपस्थिति दी तथा शेष प्रतिवादीगण के नोटिस इंतजार तामिल में होने से पत्रावली में आगामी तारीख पेशी नियत की गई । इसके उपरांत शेष प्रतिवादीगण की तामील हुई अथवा नहीं इस संबंध में पत्रावली की आदेशिका में कोई अंकन नहीं है । पत्रावली पर ऐसी भी कोई आदेशिका अंकित नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि प्रतिवादीगण का जवाब बंद किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई हो । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष पत्रावली जवाब प्रतिवादी विचाराधीन थी किन्तु प्रतिवादी का जवाब प्राप्त किये बिना अधी0न्याया0 ने पत्रावली को निर्णित कर दिया है । हम विद्वान वकील अपीलांट के इस कथन से सहमत है कि अधी0न्याया0 को समस्त पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वादपत्र में आवश्यक तनकियात कायम कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । उपरोक्त विवेचनानुसार अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं होने से अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.6.2016 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि अपीलांटस को जवाब, साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 31.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर